

उत्तर प्रदेश शासन
 पशुधन अनुभाग-1
 संख्या-10/2018/130/37-1-2018-2(14)/2017
 लखनऊ: दिनांक 19 जनवरी, 2018
कार्यालय-आदेश

पशु चिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के अनुसार निम्नलिखित अधिकारियों को 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के अधीन उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैण्ड-3 रु 15600-39100 ग्रेड वेतन रु0 7600/- स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0	अधिकारी का नाम	ज्येऽ क्र0	मौलिक नियुक्ति तिथि	08 वर्ष की सेवा पर समयमान वेतनमान की तिथि	द्वितीय ए0सी0पी0 देयता की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	डा० कृष्णटेव प्रसाद	639	02-02-1990	01-02-1998	01-12-2008
2	डा० हेमलता शर्मा	904	27-5-1992	27-5-2000	01-12-2008
3	डा० अनिल कुमार	988	04-01-1997	04-01-2005	04-01-2013
4	डा० शिवमूर्ति प्रसाद	1071	02-10-1997	02-10-2005	02-10-2013
5	डा० दिवाकर त्रिपाठी	1139	12-06-1997	12-06-2005	12-06-2013
6	डा० रंजन सिंह	1194	02-08-1997	02-08-2005	02-08-2013
7	डा० मुनिराज सिंह	1197	11-01-1999	11-01-2007	11-01-2015
8	डा० भूपेन्द्र सिंह यादव	1232	06-07-1999	06-07-2007	06-07-2015
9	डा० ओम प्रकाश यादव	1234	04-08-1998	04-08-2006	04-08-2014
10	डा० लालमणि यादव	1322	11-08-1998	11-08-2006	11-08-2014

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

11	डा० अवधेश कुमार	1366	28-07-1999	28-07-2007	28-07-2015
12	डा० संजय कुमार	1612	17-09-1998	17-09-2006	17-09-2014

2- कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 05-11-2014 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-10/2018/130(1)/37-37-1-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि उक्त अधिकारी को वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ दिये जाने से पूर्व उनसे संबंधित सेवा अभिलेखों का सत्यापन अपने स्तर पर कर लेंगे।
- 2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, ग्रेड-२ द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 5- सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।